(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 29/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 27 अगस्त, 2022

विषयः एचएस कोड 1101 के तहत मदों की निर्यात नीति में संशोधन।

सं. आ. (अ)–दिनांक 4 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 31 (आरई–2012)/2009–2014 में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निर्यात प्रतिबंध/रोक से गेहूं या मेस्लिन का आटा (एचएस कोड 1101) पर छूट को हटाती है।

इस अधिसूचना का प्रभाव

एचएस कोड 1101 के तहत गेहूं या मेस्लिन के आटे को निर्यात प्रतिबंध/रोक से अब छूट प्राप्त नहीं है। दिनांक 4 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 31 (आरई–2012)/2009–2014 में अन्य 9 मदों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

संतोष कुमार सारंगी
27.8.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/180/032/एएम–22/भाग–I/ईसी/ई–32553 से जारी)